05/7/25

पत्रावली पेश/वाकिफकार पक्षकार उपस्थित वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि डिक्री सं० दि पृथक से लिखी जाकर पत्रावली शामिल की पत्रावली फैसल शुमार की नम्बर से कम की पत्रावली जिला लेख्यागार में शामिल हो

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
277 / 24	03.12.2024	04.07.2025

बउनवान

1. शेरसिंह
1/1 श्रीमती बिमला देवी पत्नि शेरसिंह
1/2 हुकम सिंह पुत्र शेरसिंह
1/3 रामनिवास पुत्र शेरसिंह
2. सूरजभान
3. रामशरण
4. भूपसिंह
5. सुरेश
6. धर्मवीर पुत्रान स्व0 श्री प्रहलाद जातियान अहीर निवासीयान दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. कर्ण सिंह
2. रामानन्द
3. सुरेशचन्द
4. दिलावर पुत्रान स्व0 श्री केहर सिंह पुत्र मु0 सुखदई पत्नी नन्दराम जातियान अहीर निवासीयान दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. कृष्ण कुमार पुत्र श्री जगमाल पुत्र स्व0 श्री चिरंजीलाल
6. प्रीतमसिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल पुत्र स्व0 श्री चिरंजीलाल
7. धर्मपाल पुत्र स्व0 श्री चिरंजीलाल
8. अमीलाल उर्फ अमीचन्द पुत्र स्व0 श्री चिरंजीलाल
9. जितेन्द्र कुमार
10. राजेश कुमार पुत्रान स्व0 श्री मामचन्द पुत्र स्व0 श्री चिरंजीलाल जातियान अहीर निवासीयान दरबारपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
11. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
12. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अजरका प्रबंधक मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज

सहायक कलक्टर (फ़ा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री बस्तीराम यादव :– वकील वादीगण

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी ख0 न0 हाल 239 रकबा 0.1500 है० वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है, जो वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि साबिक ख0 नं0 173 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा के रिकोर्ड जमाबन्दी सं0 2014 के खाता सं0 478 में प्रतिवादीगण के दादा भोलू के नाम राजस्व रिकोर्ड में खातेदारान दर्ज हो गया जबकि उक्त आराजी पर वादीगण के पिता प्रहलाद पुत्र बहराम 1/2 भाग में सन् 2012 से पूर्व से काश्त करते आ रहे है। जैसा जमाबन्दी सं0 2014 के बकाश्त प्रहलाद पुत्र बहराम दर्ज है। तथा खसरा गिरदावरी सं0 2015 ल0 2018 में भी काश्त दर्ज है।
3. यह है कि सं0 2020 ल0 2023 की जमाबन्दी के खाता सं0 218 में भी वादीगण के पिता प्रहलाद पुत्र बहराम बकाश्त शिकमी साल दस दर्ज है तथा प्रतिवादीगण का राजस्व रिकोर्ड में कोई काश्त दर्ज नहीं है अर्थात वादीगण के पिता सम्वत 2010 से उक्त आराजी के 1/2 भाग पर काश्त करते आ रहे है। अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधियिनम 1955 लागू होने से पूर्व वादीगण के पिता ही काश्त करते आ रहे है। इसलिये बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ धारा 15क व 19 (1) क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के मुताबिक वादीगण खातेदार काश्तकार हो गये लेकिन राजस्व रिकोर्ड में इसका अंकन दर्ज नहीं हुआ इस कारण यह दावा श्रीमान अदालत में पेश किया गया है।
4. यह है कि जमाबन्दी सं0 2025 में भी ख० नं0 173 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा खाता सं0 220 में वादीगण के पिता प्रहलाद पुत्र बहराम बकाश्त दर्ज है। यह है कि जब सैटलमेन्ट 2029 में आया तो साबिक ख0 नं0 173 मिन रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा के दो नये नम्बर 226 रकबा 13 विस्वा तथा ख० नं0 227 रकबा 12 बिस्वा पैमूद कर गये तथा प्रतिवादीगण के पिता/दादा/पडदादा भोलू पुत्र श्री गगांसहाय व केहरिया पि0 मु0 सुखदेई बेवा नन्दराम सम्भाग जाति अहीर साकिन देह खातेदार दर्ज कर गये तथा वादीगण की चली आ रही बकाश्त दर्ज हटा गये तथा खिलाफ मौका के प्रतिवादीगण के पिता/दादा/पडदादा का नाम दर्ज कर दिया जिसको दुरूस्त कराने के लिये यह दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक आया है।
5. यह है कि खसरा नम्बर 226 रकबा 13 बिस्वा का हाल सैटलमेन्ट 2071 भी नये नम्बर 239 रकबा 0.15 हैक०, पैमूद कर गया इसलिये इस दावे में

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हाल ख0 नं0 239 से यह दावा पेश किया जा रहा है। उक्त खसरा नम्बरान का मिलान क्षेत्रफल निम्न प्रकार से पैमूद हुआ है। साबिक ख० नं० 173 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा सैटलमेन्ट सं0 2029 में ख0 नं0 226 मिन रकबा 13 बिस्वा, 227 मिन रकबा 12 बिस्वा व सैटलमेन्ट सं0 2071 में ख० नं0 226 मिन रकबा 13 बिस्वा का 239 मिन रकबा 0.1500 है०, कायम किये गये है।

6. ह है कि आराजी साबिक ख0 नं0 173 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा के 1/2 भाग पर वादीगण के पिता प्रहलाद पुत्र श्री बहराम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा वादीगण के पिता प्रहलाद की मृत्यु के बाद वादीगण उक्त आराजी पर काबिज होकर लगातार काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने उक्त आराजी पर कभी भी काबिज होकर काश्त नहीं की ना ही कभी काबिज है।
7. यह है कि उक्त खसरा नम्बरान में सैटलमेन्ट सं0 2029 में नये नम्बर बनाते समय ख0 नं0 226 में प्रतिवादी सं० 1 ल0 4 के पिता केहरसिंह के नाम प्रतिवादी सं० 5, 6 के व 9, 10 के पडदादा व प्रतिवादी सं0 7 व 8 के दादा भोलू के नाम का अंकन दर्ज कर दिया जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज किया गया है जबकि सैटलमेन्ट को कोई अधिकार नहीं है कि किसी रकबे को किसी दूसरे के नाम बिना कब्जा के दर्ज कर दे इसलिये मिन वादीगण उक्त गलत अंकन को हजफ कराकर अपने नाम का अंकन दर्ज करवाने के अधिकारी है। इसलिये दावा श्रीमान अदालत में अविलम्ब ही पेश किया जा रहा है।
8. यह है कि मिन वादीगण अपने पिता से जरिये विरासत प्राप्त विवादित आराजी पर काबिज है और काश्त कर रहे है इसलिये कभी राजस्व रिकोर्ड देखने की आवश्यकता नहीं हुयी परन्तु अब दिनाक 12/09/2024 को राजस्व रिकोर्ड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तथा राजस्व रिकोर्ड की नकल चाही तथा ई – मित्र से राजस्व रिकोर्ड निकलवाया तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुयी जिसकी जानकारी होने पर साबिक रिकोर्ड की नकल प्राप्त कर प्रतिवादीगण से दिनांक 15/09/2024 को राजस्व रिकोर्ड दुरुस्त कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त कराने से मना कर दिया बस यही वाद हेतू बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (अलवर-तिजारा)

(अ) यह है कि डिक्री इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज इरा अमर की पारित की जावे कि आराजी हाल ख० नं0 239 रकबा 0.1500 है०, वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर का मिन वादीगण को सम्भाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी प्रकार राजस्व रिकोर्ड में वादीगण के नाम का अंकन दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड से हजफ किया जाकर राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त फरमाया जावे। आदेश दिये जावे।

(ब) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर इकबाल जबाव दावा पेश किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2014, नकल खसरा गिरदारी सम्वत 2015, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2015, नकल जमाबन्दी सम्वत 2028, नकल मिलान क्षेत्रफल 2071, नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 पेश किया गया।

वादी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि साबिक ख0 नं0 173 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा के रिकोर्ड जमाबन्दी सं0 2014 के खाता सं0 478 में प्रतिवादीगण के दादा भोलू के नाम राजस्व रिकोर्ड में खातेदारान दर्ज हो गया जबकि उक्त आराजी पर वादीगण के पिता प्रहलाद पुत्र बहराम 1/2 भाग में सन् 2012 से पूर्व से काश्त करते आ रहे है। जमाबन्दी सं0 2014 के बकाश्त प्रहलाद पुत्र बहराम दर्ज है। तथा खसरा गिरदावरी सं0 2015 ल0 2018 में भी काश्त दर्ज है। सं० 2020 ल0 2023 की जमाबन्दी के खाता सं0 218 में भी वादीगण के पिता प्रहलाद पुत्र बहराम बकाश्त शिकमी साल दस दर्ज है तथा प्रतिवादीगण का राजस्व रिकोर्ड में कोई काश्त दर्ज नहीं है अर्थात वादीगण के पिता सं0 2010 से उक्त आराजी के 1/2 भाग पर काश्त करते आ रहे है। अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधियिनम 1955 लागू होने से पूर्व वादीगण के पिता ही काश्त करते आ रहे है। इसलिये बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ धारा 15क व 19 (1) क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के मुताबिक वादीगण खातेदार काश्तकार हो गये लेकिन राजस्व रिकोर्ड में इसका अंकन दर्ज नहीं हुआ। जो गलत है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 ने इकबाल जबाव दावा पेश कर निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है। इसलिए वादी का वाद को स्वीकार किया जाकर वादी को सम्भाग में राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

पत्रावली, वादी के वाद के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि साबिक ख0 नं0 173 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा के रिकोर्ड जमाबन्दी सं0 2014 के खाता सं0 478 में प्रतिवादीगण के दादा भोलू के नाम राजस्व रिकोर्ड में खातेदारान दर्ज हो गया। जमाबन्दी सम्वत 2014 में बकाश्त प्रहलाद पुत्र बहराम दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 ल0 2018 में भी काश्त दर्ज है। सम्वत 2020 ल0 2023 की जमाबन्दी के खाता सं0 218 में वादीगण के पिता प्रहलाद पुत्र बहराम बकाश्त शिकमी साल दस दर्ज है। वादीगण के पिता प्रहलाद पुत्र बहराम सम्वत 2010 से उक्त आराजी के 1/2 भाग पर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किये जाने बाबत इकबाल जबाव दावा प्रस्तुत किया गया है। जो पत्रावली शामिल है। इसलिए वादी का वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

वाद वादी के उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है, वाके ग्राम दरबारपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के आराजी खसरा नम्बर 239 रकबा 0.1500 है0, में वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/3 को 1/18, 1/18, 1/18 भाग व वादीगण संख्या 02 लगायत 2 लगायत 06 को 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी में हो रहे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को सम्भाग राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
स्हायक कलेक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
277/24	03.12.2024	04.07.2025

बउनवान

1. शेरसिंह

1/1 श्रीमती बिमला देवी पत्नि शेरसिंह

1/2 हुकम सिंह पुत्र शेरसिंह

1/3 रामनिवास पुत्र शेरसिंह

2. सूरजभान
3. रामशरण
4. भूपसिंह
5. सुरेश

धर्मवीर पुत्रान स्व0 श्री प्रहलाद जातियान अहीर निवासीयान दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. कर्ण सिंह
2. रामानन्द
3. सुरेशचन्द
4. दिलावर पुत्रान स्व0 श्री केहर सिंह पुत्र मु0 सुखदई पत्नी नन्दराम जातियान अहीर निवासीयान दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. कृष्ण कुमार पुत्र श्री जगमाल पुत्र स्व0 श्री चिरंजीलाल
6. प्रीतमसिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल पुत्र स्व0 श्री चिरंजीलाल
7. धर्मपाल पुत्र स्व0 श्री चिरंजीलाल
8. अमीलाल उर्फ अमीचन्द पुत्र स्व0 श्री चिरंजीलाल
9. जितेन्द्र कुमार
10. राजेश कुमार पुत्रान स्व0 श्री मामचन्द पुत्र स्व0 श्री चिरंजीलाल जातियान अहीर निवासीयान दरबारपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
11. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
12. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अजरका प्रबंधक मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री बस्तीराम यादव एडवोकट व** प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 04.07.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :—**

वाके ग्राम दरबारपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के आराजी खसरा नम्बर 239 रकबा 0.1500 है0, में वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/3 को 1/18, 1/18, 1/18 भाग व वादीगण संख्या 02 लगायत 2 लगायत 06 को 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी में हो रहे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को सम्भाग राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेशकुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0